

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान, जयपुर

क्रमांक नर्सिंग/नर्स-2/भर्ती 2018/ /2019/

दिनांक:

1. नूर अहमद असारी पुत्र श्री अहमद हुसैन असारी
आई डी संख्या:- 3260788
2. लोकेश कुमार पुत्र श्री मगल चन्द
आई.डी.संख्या -3224720
3. आशा जाटव पुत्री बीरमदेव जाटव
आई.डी संख्या:-3284463
4. विरेन्द्र सिंह यादव पुत्र श्री धर्मवीर सिंह यादव
आई डी संख्या- 3239690
5. उमेन्द्र कुमार जैमन पुत्र श्री राज राजेश कुमार जैमन
आई डी संख्या -3225018, 3252404
6. बिमला कुमारी नागर पुत्री श्री मन्शा राम नागर
आई डी संख्या.-3214896
7. मुकेश कुमार मालव पुत्र श्री सीताराम मालव
आई.डी.संख्या -3255016
8. नाजनीन पुत्री मजूर अहमद
आई.डी.संख्या:-3224486, 3260363
9. धनराज नागर पुत्र श्री जोधराज नागर
आई डी.संख्या -3281449

विषय नर्स श्रेणी द्वितीय सीधी भर्ती 2018 के संदर्भ में माननीय न्यायालय के निर्णय के परिपेक्ष्य में दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में याचिका संख्या 12876/2019 दायर की है। जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 01.08.2019 को निर्णय पारित कर नर्स श्रेणी द्वितीय के पद हेतु जारी विज्ञप्ति दिनांक 30.05.2018 के संदर्भ में अन्य राज्य (एनएचएम योजना) के अनुभव के आधार पर बोनस अंक देने एवं माननीय न्यायालय के बिना इजाजत के परिणाम जारी नहीं करने के निर्देश प्रदान किये गये हैं, के क्रम में नर्स श्रेणी द्वितीय सीधी भर्ती-2018 के संदर्भ में दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी कार्यक्रम में आपको दिनांक 29.08.2019 को मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जयपुर (MNIT) में निदेशालय द्वारा दिनांक 17.06.2019 को जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार उपस्थित होना निर्धारित किया गया है।

अतः आप दस्तावेज सत्यापन हेतु संबंधित मूल दस्तावेजों के साथ दिनांक 29.08.2019 को प्रातः 11.00 बजे मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जयपुर (MNIT) में उपस्थित होंगे।
शेष नियम व शर्तें यथावत लागू रहेगी।

(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें

राजस्थान, जयपुर

दिनांक 19/8/19

क्रमांक नर्सिंग/नर्स-2/भर्ती 2018/ /2019/ 459

1. उप विधि परामर्शी, मुख्यालय।
2. श्री सजय राजपाल, समन्वयक, एमएनआईटी, जयपुर को उक्त सबंध में हुई वार्ता के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
3. याचिकाकर्ताओं को रिट में दिये पते पर।
4. प्रभारी सर्वर रूम को प्रेषित कर लेख है कि उक्त पत्र को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावे।

(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें

राजस्थान, जयपुर